

UPSH240002212015



न्यायालय: अपर सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0, तिलहर शाहजहाँपुर।

उपस्थित: अनुराग सिंह

(उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

राज्य

बनाम

श्रीपाल उर्फ कल्लू।

वाद संख्या-1843/2016।

अ0 सं0-303/2015।

धारा-60 आबकारी अधिनियम।

थाना-कटरा, जिला-शाहजहाँपुर।

बयान मुल्जिम जुर्म इकबालिया

नाम-

पुत्र-

उम्र-

वर्ष,

पेशा-

निवासी-

थाना-

जिला-शाहजहाँपुर।

प्रश्न सं0-1 अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक:-07.04.2015 समय करीब 15.00 बजे, बहद ग्राम जल्लापुर तिराहा, थाना कटरा, जिला शाहजहाँपुर के अंतर्गत आपको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, आपकी जामा तलाशी से आपके कब्जे 10 ली0 कच्ची शराब की बरामदगी हुई। इस संबंध में आपने जुर्म इकबाल किया है?

उत्तर :

प्रश्न सं0-2. क्या आप लोग स्वेच्छा से जुर्म इकबाल कर रहे है ?

उत्तर :

प्रश्न सं0-3. क्या आप लोगों को कुछ और कहना है ?

उत्तर :

बयान सुनकर तस्दीक किया।

अपर सिविल जज (सी0डि0)/जे0एम0

तिलहर, शाहजहाँपुर।

दि0:-12.03.2022

पत्रावली पेश हुई। थाना कटरा की पुलिस द्वारा अभियुक्त "श्रीपाल उर्फ कल्लू" के विरुद्ध आरोप-पत्र अंतर्गत धारा-60 आबकारी अधिनियम में प्रेषित किया गया। जिसका इस न्यायालय द्वारा विचारण किया जा रहा है।

अभियुक्त "श्रीपाल उर्फ कल्लू" को दण्ड पर सुना गया। अभियुक्त का कथन है कि वाद उपरोक्त मा0 न्यायालय में विचाराधीन है एवं प्रार्थी बुजुर्ग है। प्रार्थी अपना मुकदमा जुर्म इकबाल के आधार पर निस्तारित कराना चाहता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अब तक कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराये गये है। अभियुक्त का उपरोक्त वाद सन् 2015 का है। प्रस्तुत मुकदमा आबकारी अधिनियम से संबंधित है, आबकारी अधिनियम में पूर्व में जुर्म इकबाल के आधार पर वाद के निस्तारण की व्यवस्था थी। अतः अभियुक्त को जुर्मने से दण्डित करने पर न्याय की मंशा परिपूर्ण हो जायेगी। अतः अभियुक्त "श्रीपाल उर्फ कल्लू" के विरुद्ध निम्नलिखित दण्डादेश पारित किया जाता है।

दण्डादेश

अभियुक्त "श्रीपाल उर्फ कल्लू" को जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर वाद संख्या-1843/2015, मु0अ0सं0-303/2015, में धारा-60 आबकारी अधिनियम के लिए 600/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को प्रत्येक अपराध के लिए क्रमशः 10-10 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

दिनांक:-12.03.2022

(अनुराग सिंह) UP2629
अपर सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0,
तिलहर शाहजहाँपुर।